

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

तथा २० सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 13.12.2001

क्रमांक एफ-१०-३९४/२००१/वा.क./पांच(७५) — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम १९१५ (क्रमांक २ सन १९१५) की धारा ६६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, रायपुर के बिशप, डायोसिस ऑफ रायपुर को केवल पूजा के प्रयोजन हेतु, सेकरामेंटल वाईन के निर्माण, कब्जा एवं परिवहन हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, १९१५ की धारा १० एवं १३ (क) की प्रभावशीलता से छूट प्रदान करता है।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(के.आर.मिश्रा)

उप सचिव

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS
& 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT
MANTRALAYA


NOTIFICATION

Raipur, dated 13.12.2001

No. F-10-394/2001/C.T./V(75) - In exercise of the powers conferred by Section 66 of Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. 2 of 1915), the State Government hereby exempts, the Bishop of Raipur, Diocese of Raipur from the operation of section 10 and 13(a) of Chhattisgarh Excise Act 1915 for manufacture, possession and transportation of Sacramental wine for the purpose of worship only.

This notification shall take effect from the date of publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor
of Chhattisgarh,



(K. R. Misra)

Deputy Secretary